मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक26 /7 /2023

क्र. IPI/5/0031/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स एस.आर.एफ. अल्टेक लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जैतापुर-पलासिया, जिला धार में राशि रूपये 403.70 करोड (पुनरीक्षित प्रस्ताव राशि रू. 528.70 करोड) के स्थाई पूंजी निवेश से एल्युमीनियम फॉइल निर्माण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP1020232108007) पर निम्नानुसार सुविधाये दी जाये -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता**– उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता अन्तर्गत परियोजना को भवन, यंत्र एवं संयंत्र में किए गए पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से रोजगार गणक सहित, बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रुपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. **132 केव्ही लाईन एवं सबस्टेशन की व्यवस्था हेतु प्रतिपूर्ति-** विद्युत अधोसंरचना हेतु किए गए वास्तविक व्यय का 50%, अधिकतम रू. 5.00 करोड़ की सीमा तक, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

5. **भूमि संबंधी रियायत-** नीति अनुसार, परियोजना द्वारा विकास शुल्क के रूप में चुकाई गई राशि पर 50% की छूट प्रदान की जाये।

6. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति-** भूमि आवंटन हेतु पट्टाविलेख निष्पादन पर चुकाई गई स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा इकाई को की जाये।

7. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

8. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

**निरंतर .....**

o/c

9. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

10. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम**
**से तथा आदेशानुसार**

**(संजय कुमार शुक्ल)**
**प्रमुख सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन**
**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग**

पृ. क्र. IPI/5/0031/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 26/7/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला- धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स एस.आर.एफ. अल्टेक लि. ..... - की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**प्रमुख सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन**
**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग**